

HINDI

Topic: Avoid a debt

Person 1: यदि मुझे Department of Human Services से कोई पेमेंट मिलता है और मेरी व्यक्तिगत परिस्थिति में कोई बदलाव आता है, तो क्या मुझे उनको इस बारे में बताना होगा?

Person 2: हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी या अपने पार्टनर की परिस्थिति में आये किसी भी बदलाव के बारे में, बदलाव के 14 दिन के भीतर इस विभाग को बता दें।

Person 1: मुझे किस तरह के बदलावों के बारे में विभाग को सूचित करना होगा?

Person 2: उदाहरण के तौर पर, आपको विभाग को बताना होगा यदि:

- आपको या आपके पार्टनर को मिलने वाली तन्ख्वाह की राशि में कोई बदलाव आये
- आपके द्वारा दी जाने वाली किराये की राशि या आपके एडरस में कोई बदलाव आये
- आप किसी के साथ रहना बन्द या चालू करें
- आपकी शादी हो जाये, आप अपने पार्टनर से अलग हो जायें या आपके पार्टनर की मृत्यु हो जाये
- आप या आपका पार्टनर पढाई करना बन्द या चालू कर दे या आप दोनों का अध्ययन भार बदल जाये
- आप या आपका पार्टनर अस्थायी या स्थाई रूप से ऑस्ट्रेलिया छोड़ रहे हैं।

Person 1: विभाग को इन बदलावों के बारे में बताना महत्वपूर्ण क्यों है?

Person 2: जब आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति बदलती है तो यदि आप विभाग को उस बारे में नहीं बताते, तो हो सकता है आपको भुगतान की सही राशि नहीं मिल पाये। आपको जितने पैसे मिलने चाहियें उससे अधिक पैसे यदि आपको मिल जाते हैं तो आपको अतिरिक्त धनराशि वापस लौटानी होगी।

Person 1: यदि मुझ पर विभाग का पैसा उधार हो तो मैं क्या करूँ?

Person 2: यदि आपको पैसा लौटाना होगा तो, आपके भुगतान विकल्पों व स्थिति को समझाता एक पत्र आपको भेजा जायेगा। यदि आपको वो पैसा वापस देने में कठिनाई आये तो, आपको, अपने लिये उपयोगी भुगतान व्यवस्था करने के लिये विभाग से संपर्क करना चाहिये।

याद रखें, Department of Human Services को अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के बारे में हमेशा सही जानकारी देना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपनी परिस्थिति के बारे में गलत या भटकाने वाली जानकारी देते हैं तो आप पर एक दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया जा सकता है।

Person 1: मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

Person 2: और अधिक जानकारी, तथा जिन बदलावों की सूचना आपको विभाग को देनी होगी उनकी पूरी सूची के लिये आप:

- humanservices.gov.au पर जायें
- अपने निकटतम Service Centre में जायें या फिर
- हिन्दी भाषा में जानकारी पाने के लिये 13 12 02 पर फोन करें. नंबर एक बार फिर – 13 12 02

(Spoken quickly, as a disclaimer) कॉल का मूल्य टेलिफोन सेवा प्रदान करने वाले के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। सार्वजनिक व मोबाइल फोन से किये गये कॉल्स की दर ऊँची हो सकती हैं।

Avoid a debt

Person 1: If I receive a payment from the Department of Human Services and something changes with my personal situation, do I need to tell them?

Person 2: Yes, it is very important that you tell the department about any change to your situation or your partner's within 14 days of the change. A change to your situation might change the payment amount or payment type that you are entitled to.

Person 1: What kinds of changes do I need to report to the department?

Person 2: Well, for example, you need to tell the department if:

- the amount of income you or your partner receive changes
- your address or the amount of rent you pay changes
- you start or stop living with someone
- you get married, separate from your partner or your partner dies
- you or your partner start or stop studying or change your study load
- you or your partner leave Australia temporarily or permanently.

Person 1: Why is it important to tell the department about these changes?

Person 2: If you don't tell the department when your personal situation changes, you might be paid an incorrect amount. If you receive more money than you should, you will have to pay the extra money back.

Person 1: What do I do if I owe the department money?

Person 2: If you have to pay money back, you will be sent a letter explaining the situation and your payment options. If you will have trouble paying back the amount, you should contact the department to discuss an arrangement that will work for you.

Remember, it is important to always provide the Department of Human Services with an accurate report of your personal situation. You can be charged with a criminal offence if you provide false or misleading information about your situation.

Person 1: Where can I find out more?

Person 2: For more information, and for a full list of changes you need to report, you can:

- go to **humanservices.gov.au**
- visit your nearest service centre, or
- for information in Hindi, call **131 202**. That number again – **131 202**.

Call charges may vary depending on the telephone service provider. Calls from public telephones and mobile phones may be charged at a higher rate.